

उत्तर प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन अनुभाग  
लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 2026

**विज्ञप्ति**

सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या- 671 /तीन -2025- 39 (2)/2016 दिनांक 17 नवम्बर, 2025 हेतु घोषित अवकाशों की सूची के प्रस्तर- 2 (1) में वर्ष 2026 के राजपत्रित अवकाश की सूची में निगोशियेबुल इन्सूट्रमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन दिनांक 26 मार्च, 2026 को राम नवमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उक्त के क्रम में ही दिनांक 27 मार्च, 2026 को भी निगोशियेबुल इन्सूट्रमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन राम नवमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में राम नवमी के पावन अवसर पर दिनांक 27 मार्च, 2026 (दिन शुक्रवार) को भी निगोशियेबुल इन्सूट्रमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन एतद्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

3- तदनुसार सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या-671 / तीन-2025-39 (2)/2016 दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(मनीष चौहान)

प्रमुख सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, 30प्र0 शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, 30प्र0।
- 3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, 30प्र0 शासन।
- 4- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 5- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज ।
- 6- महालेखाकार, 30प्र0 प्रयागराज।
- 7- समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, 30प्र0।
- 8- प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, 30प्र0 ।
- 9- सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्यो का विभाग, नई दिल्ली।
- 10- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 11- प्रबन्धक एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति-बैंक आफ बड़ौदा , आंचलिक कार्यालय, 45, भारतीय जीवन बीमा निगम बिल्डिंग , हजरतगंज, लखनऊ।
- 12- क्षेत्रीय निदेशक, 30प्र0 एवं उत्तराखण्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर-208001 ।
- 13- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस विज्ञप्ति का आवश्यक प्रसार एवं प्रचार कराने हेतु।
- 14- महाप्रबन्धक, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, गोमती नगर, लखनऊ।
- 15- कुलपति, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
- 16- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार)  
उप सचिव।